

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

सु० न०:- 132/2018

तारीखरजु:- 14.11.18

निर्णय दिनांक:-

उनवान:- भादर सिंह बनाम उम्मेदसिंह वगै०

दावा वावत बेदखली/तकास्मा एवं हुक्म इम्तनायी घारा 188,53,183 रा०टि०एक्ट

दिनांक	फर्द अहकाम
4.11.18	<p>वादी की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने दावा वावत बेदखली/ तकास्मा/हुक्म इम्तनायी/ 183/53/188 रा०टि०एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहार के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्चे पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 02.01.2019 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली</p>
10.12.18	<p>वादी एवं वादी वकील की ओर से प्रार्थना पत्र वावत पत्रावली तलब करने तथा पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जोन से इसी स्टेज पर मुकदमा खारिज करने प्रस्तुत किया है पत्रावली तलब कर प्रस्तुत हुई। Not Press करने से यह दावा वावत स्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दारिखत दफ्तर है।</p> <p style="text-align: right;">उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)</p>

5235-44  
16.11.18

Not Pressed  
10.12.18